न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश, सुमेरपुर

पीठासीन अधिकारी श्री झूमर लाल चौहान, *आर.एच.जे.एस.*

आपराधिक निगरानी याचिका सं.–02/2014

1.मोनिंगजी पुत्र भीकजी उम्र–90 साल
2.किशोरसिंह पुत्र जबरसिंहजी उम्र–30 साल
3.जबरसिंह पुत्र मोनिंगजी उम्र–55 साल
4.हरिसिंह पुत्र मोनिंगजी उम्र–50 साल
5.कमलादेवी पत्नि जबरसिंहजी उम्र–52 साल
6.रिन्कू पुत्री हरिसिंहजी उम्र–24 साल
जातिगण राजपुरोहित निवासीगण पावा तहसील सुमेरपुर जिला–पाली

–––निगरानीकार

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक, सुमेरपुर

–––गैर निगरानीकार

आपराधिक निगरानी विरूद्ध आदेश दि0 30.04.2012
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर
पीठासीन अधिकारी श्री शरद तंवर, *आर.जे.एस.*
अन्तिम परिणाम संख्या–प्र0 सं0 541/2012

उपस्थितः–

1 श्री सुरेश शर्मा श्री कान्तिलाल सोनी अधिवक्ता निगरानीकार.
2 श्री हिम्मतराम सोंलकी, अपर लोक अभियोजक वास्ते राज्य.

निर्णय दिनांकः–01.05.2014

उपरोक्त आपराधिक निगरानी याचिका, निगरानीकार द्वारा विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 30.04.2012 से व्यथित होकर पेश की गयी हैं।

तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि परिवादी रमेशसिंह ने दिनांक 02.09.2009 को न्यायालय में परिवाद पेश किया कि दिनांक 29.08.2009 को परिवादी को पावा निवासी मदनसिंह ने उसके हाथ पर चोट लगी होने से वाहन चलाने हेतू बुलाया वह परिवादी राकेशसिंह मदन सिंह बेरे

पर गये जहां ओटसिंह, उम्मेदसिंह भोपालसिंह मौजुद थे तथा हरीसिंह वहां आया व धमकी दी व गाली गलौच की उसके बाद परिवादी मदनसिंह के घर आ रहे थे तब सभी अभियुक्तगण मकान के बाहर मारपीट करने के उद्धेश्य से एक राय होकर खडे थे जहां परिवादी की गाडी के आडे फिर रोका परिवादी व राकेशसिंह मदनसिंह जान बचाने के लिए मदनसिंह के घर की तरफ भागे तब तमाम अभियुक्तगण ने मदनसिंह के घर में घुस कर परिवादी व राकेशसिंह के चोटे पहूंचाई उस समय मांगीलाल पुत्र प्रभुजी मोहनलाल पुत्र धनरूपजी ने बीच बचाव कर छुडाया इसके बाद परिवादी ने उम्मेदसिंह, भोपालसिंह व ओटसिंह को सूचना दी तथा तखतगढ अस्पताल में इलाज कराया। इस घटना की सूचना थानाधिकारी को दी परन्तु उन्होनें मुकदमा दर्ज नहीं कर उल्टा परिवादी व राकेशसिंह को गिरफतार कर लिया। इस पर परिवाद को जांच के लिए थाना तखतगढ भेजा गया जहां मुकदमा संख्या 141/2009 धारा 149, 323,324,341,452 भा.दं.सं. के तहत दर्ज किया गया बाद जांच अन्तिम प्रतिवेदन अदम वकु पेश की। जिस पर परिवादी ने प्रोटेस्ट पीटीशन पेश की। जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने निगरानीधीन आदेश के जरिये अस्वीकार करते हूए अन्तिम परिणाम को स्वीकार किया जिससे व्यथीत होकर यह निगरानी याचिका निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत की गई हैं।

निगरानीकार के योग्य अधिवक्ता का तर्क रहा हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.2012 पत्रावली पर मौजुद साक्ष्य सामग्री के विपरित होकर विधिविरूद्ध एवं मनमाना हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में पुलिस द्वारा बाद अनुसन्धान प्रस्तुत अन्तिम परिणाम के साथ मौजुद साक्ष्य सामग्री एंव परिवादी की और से प्रस्तुत प्रोटेस्ट पीटीशन पर विचार करते हुए अपने पूर्व आदेश दिनांक 18.01.2010 के जरिये अन्तिम परिणाम को स्वीकार किया एंव प्रोटेस्ट पीटीशन को अस्वीकार कर खारिज किया जा चुका हैं। जिसके विरूद्ध दायर निगरानी याचिका स्वीकार करते हूए निगरानी न्यायालय द्वारा मामला पुनः प्रेषित करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई अतिरिक्त साक्ष्य अन्तर्गत धारा 200, 202 द.प्र.सं. के तहत लेखबद्ध किये अन्तिम परिणाम पर मौजुद उन्हीं गवाहान के बयान एंव उसी प्रोटेस्ट पीटीशन के आधार पर निगरानीधीन आदेश पारित करते हुए निगरानीकार के विरूद्ध धारा 147,148,149, 323, 324, 341, 452 भा.दं.सं. के तहत अपराध का प्रसंज्ञान लेते हुए जरिये जमानती वारन्ट तलब किये जाने का आदेश पारित किया गया, जो विधि विरूद्ध हैं तथा आगे यह भी तर्क किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानाधीन आदेश में अपराध घटित होने के संबंध में कोई अभिमत भी पारित नहीं किया गया हैं मात्र अन्तिम प्रतिवेदन पर मौजुद साक्ष्य सामग्री एंव प्रोटेस्ट पीटीशन

में वर्णित साक्ष्य के आधार पर अन्तिम प्रतिवेदन अस्वीकार करते हुए निगरानाधीन आदेश पारित किया गया हैं, जो भी विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं। अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त 2009 (1) क्रि.ला.रि. (राज.) पेज 161 शंकरलाल सोनी बनाम राज. राज्य एंव 2010 (1) क्रि.ला.रि. (राज.) पेज 563 हरीराम बनाम राज. राज्य पेश किये।

इसके विपरित विद्वान अपर लोक अभियोजक का तर्क रहा हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगरानाधीन आदेश पूर्णतया पत्रावली पर मौजुद साक्ष्य सामग्री के सही विवेचन पर आधारित होकर विधि सम्मत एंव न्याय संगत हैं। इस स्टेज पर साक्ष्य के विस्तृत विवेचन की आवश्यकता नहीं होती हैं।अन्तिम परिणाम के दौरान लेखबद्ध की गयी साक्ष्य के आधार पर ही प्रथम दृष्टया अपराध बनना प्रमाणित है, जिसकी पुष्टि प्रोटेस्ट पीटीशन से भी होती हैं। लिहाजा निगरानी याचिका सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाने योग्य हैं।

हमनें उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली उपलब्ध साक्ष्य सामग्री का अवलोकन किया। तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी ससम्मान अध्ययन कर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया। यह स्वीकार्य तथ्य है कि प्रकरण में पुलिस द्वारा बाद विस्तृत अनुसन्धान अन्तिम परिणाम नकारात्मक पेश किया गया था जिसपर परिवादी की और से प्रोटेस्ट पीटीशन भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गयी जिन दोनो पर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विचार करते हुए अपने पूर्व आदेश दिनांक 18.01.2010 के जरिये अन्तिम परिणाम नकारात्मक को स्वीकार करते हुए प्रोटेस्ट पीटीशन अस्वीकार कर खारिज की गयी थी जिसके विरूद्ध परिवादी की और से निगरानी याचिका पेश करने पर इस न्यायालय के द्वारा मामला पुनः प्रतिःप्रेषित कर उभय पक्षकारान को सुनने के आदेश पारित करने हेतू भिजवाया गया जिसपर अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निगरानाधीन आदेश दिनांक 30.04.2012 के जरिये एफ. आर. पर मौजुद साक्ष्य साम्रगी की एंव प्रोटेस्ट पीटीशन में वर्णित तथ्यों से पुष्टि होने के आधार पर ही अन्तिम परिणाम अस्वीकार करते हुए निगरानाधीन आदेश पारित किया गया। अर्थात जिस साक्ष्य पर पूर्व आदेश दिनांक 18.01.2010 के जरिये अन्तिम परिणाम स्वीकार किया गया उसी की साक्ष्य के आधार पर निगरानाधीन आदेश के जरिये अन्तिम परिणाम को अस्वीकार किया गया पूर्व आदेश दिनांक 18.01.2010 के उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई नवीन तथ्य एंव साक्ष्य पत्रावली पर नहीं आई हैं। प्रोटेस्ट पीटीशन को भी स्वीकार या अस्वीकार किये जाने के संबंध में कोई भी अभिमत पारित नहीं किया गया ना ही प्रोटेस्ट पीटीशन के समर्थन में कोई साक्ष्य अन्तर्गत धारा

200, 202 द.प्र.सं. के तहत लेखबद्ध की गयी। इस स्टेज पर न्यायालय को मात्र यह देखना होता हैं कि पत्रावली पर मौजुद साक्ष्य सामग्री के आधार पर प्रथमदष्टया कोई अपराध बनना पाया जाता हैं अथवा नहीं, एवं यदि कोई अपराध बनना पाया जाता हैं तो कौनसा, और क्या किसी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतू पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजुद हैं ? जिसके संबंध में इस न्यायालय द्वारा पूर्व में भी निर्देशित किया गया था। लैकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र पुलिस द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन, केस डायरी पर मौजुद साक्ष्य सामग्री की प्रोटेस्ट पीटीशन में वर्णित तर्को की पुष्टि होने के आधार पर ही अन्तिम प्रतिवेदन अस्वीकार करते हुए निगरानीकार के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया गया हैं। प्रथम दृष्टया कोई अपराध बनना पाया जाने के बारे में एंव कार्यवाही किये जाने के लिए पर्याप्त आधार मौजुद होने के बारे में कोई अभिमत पारित नहीं किया गया हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगरानाधीन आदेश विधि सम्मत हो नहीं कहा जा सकता। अतः निगरानी याचिका स्वीकार योग्य पायी जाती हैं।

<u>आदेश</u>

फलतः निगरानीकारान की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर आक्षेपित आदेश दिनांक–30.04.2012 अपास्त किया जाता हैं। तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को विधि सम्मत आदेश पारित करने हेतू प्रेषित की जाती हैं। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तुरन्त अधिनस्थ न्यायालय को इस आदेश की प्रति के साथ भेजी जाये।

{जे.एल.चौहान}
अपर सैशन न्यायाधीश
सुमेरपुर, जिला पाली

यह निर्णय आज दिनांक **01.05.2014** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{जे.एल.चौहान}
अपर सैशन न्यायाधीश
सुमेरपुर,जिला पाली.

...